अध्याय - 2
संगठनात्मक ढांचा और कार्य

श्रम क्षेत्राधिकार :

2.1 भारत के संविधान के अंतर्गत श्रम समवर्ती सूची में है जहां केन्द्र के लिए आरक्षित कतिपय मामलों के अलावा केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों विधान अधिनियमित करने के लिए सक्षम हैं।

(बॉक्स 2.1)

श्रम क्षेत्राधिकार ः संवैधानिक स्थिति	
संघ सूची	समवर्ती सूची
प्रविष्टि संख्या 55 : खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम एवं सुरक्षा का विनियम	प्रविष्टि संख्या 22: व्यवसाय संघ; औद्योगिक और श्रम विवाद
प्रविष्टि संख्या 61 : केन्द्रीय कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद	प्रविष्टि संख्या 23 : सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; रोजगार और बेरोजगारी
प्रविष्टि संख्या 65 : "….. व्यावसायिक प्रशिक्षण"……. संबंधी केन्द्रीय एजेंसियां और संस्थान	प्रविष्टि संख्या 24 : श्रमिकों का कल्याण जिसमें कार्य दशाएं, भविष्य निधि, नियोजकों के दायित्व, कर्मकारों को मुआवजा, अक्षमता तथा वृद्धावस्था पेंशन और प्रसूति लाभ शामिल हैं ।

<u>कार्मिक</u>

2.2 श्री के. चन्द्रशेखर राव तथा श्री चन्द्रशेखर साहू ने श्रम और रोजगार मंत्री तथा श्रम और रोजगार राज्य मंत्री के पद से क्रमशः दिनांक 24.08.2006 एवं 24.10.2006 से अपना पद भार छोड़ दिया । श्री ऑस्कर फर्नांडिस ने 24.10.2006 को माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । श्री के.एम. साहनी, आई ए एस (ए जी एम यू 69) सचिव (श्रम और रोजगार) के पद पर बने रहे। श्री जे.पी. सिंह, आई.ए.एस.(राज.ः72) ने 06.07.2006 को विशेष सचिव (श्रम और रोजगार) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया । श्री एच.एन. गुप्ता (आई ई एसः-70) 31.03.2006 को श्रम और रोजगार सलाहकार के पद से कार्य मुक्त हुए। श्री आर.सी. राय (आई ई एसः - 74) ने अपर सचिव के वेतनमान में दिनांक 11.10.2006 को श्रम

एवं रोजगार सलाहकार के पद पर कार्यग्रहण किया। श्री के. चन्द्रमौलि, आई ए एस (यू पी75) को कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 31.03.2006 को संयुक्त सचिव के पद से कार्य मुक्त कर दिया गया। श्री जे. पी. पति , संयुक्त सचिव, अधिवर्षिता पर दिनांक 31.05.2006 को सेवा निवृत हो गए । श्री मनोहर लाल, आई ए. एस. (आर जे77), महानिदेशक, श्रम कल्याण तथा श्री के.के. मित्तल, आई ए एस (ए एम-83) महानिदेशक (रोजगार एवं प्रशिक्षण) को उनके कार्यकाल पूरा होने पर 31.08.2006 को कार्यमुक्त कर दिया गया । सुश्री गुरजोत कौर, आई ए एस (आर जे-81) तथा श्री एस.के. श्रीवास्तव, आई ए एस (ए एम-78) ने क्रमशः दिनांक 12.06.2006 और 22.06.2006 को संयुक्त सचिव के पद पर कार्य ग्रहण कर लिया। श्री अनिल स्वरूप, आई ए एस (यू पी-81) ने महानिदेशक, श्रम कल्याण के पद पर दिनांक 01.09.2006 को कार्यभार ग्रहण किया । श्री शारदा प्रसाद, आई ए एस (यू पी-81) ने महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण के पद पर दिनांक 01.11.2006 को कार्यभार ग्रहण किया। श्री हरचरण सिंह, (आई एस एस -80) ने दिनांक 02.11.2006 को उप महानिदेशक (संयुक्त सचिव के रैंक में) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया । डॉ. अशोक साहु, (आई ई एस : 75) संयुक्त सचिव के रैंक तथा वेतनमान में आर्थिक सलाहकार के पद पर बने रहे । श्री एस. के. मुखोपाध्याय, केन्द्रीय श्रम सेवा, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पद पर बने रहे ।

संगठनात्मक ढांचा

2.3 मंत्रालय के चार निम्नलिखित सम्बद्ध और दस अधीनस्थ कार्यालय, चार स्वायत्त शासी संगठन, बाईस न्यायनिर्णयन निकाय और एक विवाचन निकाय हैं ।

संबद्ध कार्यालय

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय
(डी जी ई एंड टी)

2.4 यह कार्यालय पूरे देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में नीतियां, मानक, मानदण्ड और दिशा-निर्देश निर्धारित करने और रोजगार सेवाओं के समन्वयन के लिए भी उत्तरदायी है ।

मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) (सी एल सी (सी)
का कार्यालय

2.5 यह कार्यालय (क) केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों को रोकने, उनकी जांच करने तथा समझौते कराने ; (ख) पंचाटों तथा करारों के प्रवर्तन ; (ग) उन उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों को कार्यान्वित करने, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है ; (घ) केन्द्रीय कर्मचारी संगठनों से सम्बद्ध संघों की सदस्यता का सत्यापनकरने ताकि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जा सके;और (ङ)

अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत अधिसूचना के द्वारा न्यूनतम मजदूरी के महंगाई भत्ता घटक के निर्धारण एवं संशोधन के लिए उत्तरदायी है।

कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डी जी फासली)

2.6 यह निदेशालय, कारखानों और गोदी कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में नीति बनाने से संबंधित है। यह राज्य सरकारों द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन का समन्वय करने तथा इस अधिनियम के अधीन मॉडल नियम बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। यह गोदी कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण) अधिनियम, 1986 के प्रशासन से भी संबंधित है। यह औद्योगिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वच्छता, औद्योगिक मनोविज्ञान और औद्योगिक फिजियोलोजी में अनुसंधान करता है। यह मुख्यतः औद्योगिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसमें औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल है। यह डिप्लोमा कारखानों में सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए एक आवश्यक अर्हता है। कारखाना निरीक्षकों का नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण इस संगठन का दूसरा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यकलाप है।

श्रम ब्यूरो

2.7 इस कार्यालय का मुख्यालय चंडीगढ़ एवं शिमला में हैं। यह कार्यालय रोजगार, मजदूरी, आय, औद्योगिक संबंधों, कामकाज की दशाओं आदि के बारे में सांख्यिकी तथा अन्य सूचना एकत्रण, संकलन तथा प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी है। यह औद्योगिक तथा कृषि/ग्रामीण श्रमिकों के संबंध में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को संकलित और प्रकाशित भी करता है। यह ब्यूरो राज्य/जिला/इकाई स्तरों पर श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण कार्यक्रम अयोजित करने के लिए राज्यों को आवश्यक सहायता भी देता है।

अधीनस्थ कार्यालय

खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी जी एम एस)

2.8 इस कार्यालय को खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों को लागू करने का काम सौंपा गया है। यह खानों और तेल क्षेत्रों पर लागू भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के उपबंधों का प्रवर्तन भी करता है।

कल्याण आयुक्त

2.9 कल्याण आयुक्तों के नौ कार्यालय, अभ्रक, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट, लौह अयस्क, मैगनीज तथा क्रोम अयस्क खानों और बीड़ी तथा सिनेमा उद्योगों में नियोजित कर्मकारों को कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। ये कार्यालय इलाहाबाद, बंगलौर, भीलवाड़ा, भुवनेश्वर,

कोलकाता, हैदराबाद, जबलपुर, करमा (झारखंड) और नागपुर में स्थित हैं ।

स्वायत्त संगठन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई एस आई सी)

2.10 यह निगम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है जिसमें बीमित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों की चिकित्सा देख-रेख और उपचार की व्यवस्था है। बीमार तथा प्रसूति, रोजगार के दौरान लगी चोट के लिए प्रतिपूर्ति, रोजगार के दौरान लगी चोट आदि के कारण कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों के लिए पेंशन के रूप में सहायता दी जाती है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ)

2.11 यह संगठन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इस योजना के अंतर्गत शामिल कर्मकारों के लाभ के लिए इस संगठन द्वारा भविष्य निधि योजना, परिवार पेंशन योजना और जमा सहबद्ध बीमा योजना का कार्यान्वयन किया जाता है । यह संगठन कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है, जो 16.11.1995 से अस्तित्व में आयी है।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वी वी जी एन एल आई)

2.12 यह संस्थान नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित अपने मुख्यालय के साथ एक पंजीकृत संस्था है, जो कार्योन्मुखी अनुसंधान करती है और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में ट्रेड यूनियन आन्दोलन में निम्नतर स्तर के श्रमिकों और औद्योगिक संबंधों, कार्मिक प्रबंध, श्रमिक कल्याण आदि से संबंधित अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करती है ।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (सी बी डब्ल्यू ई)

2.13 यह बोर्ड एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में है जिसका मुख्यालय नागपुर में है । श्रमिकों को व्यापार संघवाद की तकनीकों में प्रशिक्षण देने संबंधी योजनाओं और श्रमिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का बोध कराना भी इस बोर्ड का कार्य है । बोर्ड ने ग्रामीण श्रमिक शिक्षा तथा कार्यात्मक प्रौढ़ शिक्षा संबंधी कार्यक्रम भी शुरू किए हैं ।

न्याय निर्णयन निकाय

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय (सी जी आई टी)

2.14 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अधीन उन संगठनों के औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कुल मिलाकर 22 (बाईस) औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालय गठित किए गए हैं,

जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है । ये अधिकरण धनबाद (झारखंड), मुम्बई, नई दिल्ली और चंडीगढ़ (प्रत्येक में दो न्यायालय) तथा कोलकाता, जबलपुर कानपुर, नागपुर, लखनऊ, बंगलौर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, एर्नाकुलम, आसनसोल और गुवाहाटी प्रत्येक में एक, में स्थित हैं ।

विवाचन निकाय

विवाचन बोर्ड संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जे.सी.एम.)

2.15 सरकारी कर्मचारी तथा सरकार के मध्य वेतन तथा भत्ते, साप्ताहिक कार्य घंटे तथा किसी वर्ग या श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अवकाश के संबंध में एवं संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र एवं अनिवार्य माध्यस्थम योजना के अधीन गठित विवाचन बोर्ड (जे.सी.एम.) जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, विवादों के लिए अनिवार्य माध्यस्थम संस्था है । अभी तक बोर्ड ने इसे संदर्भित 259 संदर्भों में से 257 पंचाट दिये हैं ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में कार्रवाई किए जाने वाले मुख्य विषय

2.16 संविधान की संघीय सूची और सातवीं अनुसूची की समवर्ती अनुसूची में संबंधित प्रविष्टियों से वांछित शक्तियों के अनुसरण में श्रम और रोजगार मंत्रालय को निम्नलिखित कार्यमदें आबंटित की गई हैं

2.17 श्रम नीति (मजदूरी नीति सहित) और विधान, श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध जैसे विशेष लक्ष्य ग्रुप से संबंधित नीति और केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रवर्तन, केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों और राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणों के माध्यम से औद्योगिक विवादों का न्यायनिर्णयन, श्रमिक शिक्षा, श्रम एवं रोजगार सांख्यिकी, रोजगार सेवाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण, केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार सेवाओं का प्रशासन, श्रम एवं रोजगार मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ।

केन्द्रीय श्रम सेवा (सी एल एस)

2.18 केन्द्रीय श्रम सेवा (सी एल एस) का गठन 3 फरवरी, 1987 से बेहतर औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करने, श्रम कानून प्रवर्तन और श्रम कल्याण के उद्देश्य से किया गया था । कैडर समीक्षा के पश्चात, केन्द्रीय श्रम सेवा (सी एल एस) को वर्ष 2004 में अधिसूचित कर दिया गया ।

2.19 500 या इससे अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले कारखानों और खानों तथा 300 या इससे अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले बागानों को संगत कानूनों के तहत निर्धारित संख्या में कल्याण अधिकारियों को नियुक्त करना अपेक्षित होता है । सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (के.) तथा

उप श्रम कल्याण आयुक्त (के.), कल्याण आयुक्त (के.) के पर्यवेक्षण में इन सांविधिक कार्यों को करते हैं और वे सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों तथा कामगार सुरक्षा, स्वास्थ्य कल्याण आदि के क्षेत्रों में संबद्ध स्थापनाओं के प्रबंधन को सलाह तथा सहायता भी देते हैं । इसके अलावा कामगारों की शिकायतों को हल करने में सहायता करके ये अधिकारी उन्हें औद्योगिक विवादों में पड़ने से बचाते हैं ।

2.20 1.4.2006 से 30.9.2006 की अवधि के दौरान इन अधिकारियों ने 23051 शिकायती मामलों को देखा तथा उनमें से 22557 मामलों को निपटाया। उन्होंने इस प्रकार की शिकायतों को औद्योगिक विवादों का रूप लेने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

2.21 इसके अतिरिक्त, सहायक श्रम आयुक्त (के.), क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (के.), उप मुख्य श्रमायुक्त (के.) के रूप में नियुक्त अधिकारियों और मुख्य श्रमायुक्त (के.) के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र में संयुक्त मुख्य श्रमायुक्त (के.) को केन्द्रीय क्षेत्र में मधुर औद्योगिक संबंध कायम करने का दायित्व भी सौंपा जाता है । केन्द्रीय श्रम सेवा के अधिकारी, श्रम और रोजगार मंत्रालय के कल्याण संगठन में महानिदेशक (श्रम कल्याण) के अधीन सहायक कल्याण आयुक्तों एवं कल्याण आयुक्तों के रूप में बीड़ी, सिने तथा गैर-कोयला खान कामगारों की कतिपय श्रेणियों के कामगारों हेतु कल्याण निधियों का संचालन करते हैं।

कार्य अध्ययन

2.22 प्रशासनिक सुधार लाने, स्टाफ के स्वरूप को निर्धारित करने और समुचित संगठनात्मक ढांचा तथा कार्य के तौर-तरीकों को निश्चित करने के उद्देश्य से, आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक (आई.डब्ल्यू.एस.यू.) ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में विभिन्न अनुभागों तथा क्षेत्रीय संस्थानों के कार्य मापन अध्ययन, तौर-तरीका अध्ययन, अभिलेख प्रबंधन अध्ययन तथा ओ एंड एम निरीक्षण करवाते हैं । इस एकक को ओ एण्ड एम मामले में प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग से तथा कार्य प्रबन्धन अध्ययन के बारे में व्यय विभाग के स्टाफ निरीक्षण एकक से मार्गदर्शन प्राप्त होता है । वित्तीय वर्ष के शुरुआत में संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित विभिन्न कार्यालयों/अनुभागों/एककों से परामर्श के द्वारा ओ एण्ड एम के कार्यकलापों एवं अध्ययन से संबंधित वार्षिक कार्य योजना के कार्यक्रम बनाए जाते हैं । आंतरिक कार्य अध्ययन एकक, वित्तीय सलाहकार (श्रम एवं रोजगार) के अधीन कार्य करता है तथा लेखा नियोजक, वरिष्ठ विश्लेषक तथा कनिष्ठ विश्लेषकों के माध्यम से कार्य करता है ।

2.23 आंतरिक कार्य अध्ययन एकक ने वर्ष 2005-2006 के दौरान श्रम और रोजगार

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले 22 क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में ओ.एण्ड एम. निरीक्षण किया है। वर्तमाना वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान अब तक 4 कार्यालयों के ओ.एंड एम. निरीक्षण किये गये हैं। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक मामलों (रिक्ति स्थिति/पदोन्नति पहलू आदि), कोर्ट मामलों की संवीक्षा/लेखा परीक्षा पैराओं/कार्यालय पद्धति नियमावली के उपबंधों का अनुपालन तथा अन्य दैनंदिन कार्यचालनों में पाई गई कमियों को संबंधित शाखा प्रमुखों के ध्यान में लाया गया ताकि उन कार्यालयों के कार्यचालन, क्षमता तथा आउटपुट में सुधार लाया जा सके। निरीक्षण के दौरान, ओ एण्ड एम मामलों खासकर अभिलेख प्रबंधन तथा सेवा पुस्तिकाओं के रख रखाव के साथ सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में क्षेत्रीय कर्मचारियों को और अधिक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अभिविन्यास सत्र भी आयोजित किए गए । चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में, आंतरिक कार्य अध्ययन एकक का आगामी प्रस्ताव चार क्षेत्रीय इकाइयों का कार्य प्रबंधन अध्ययन एवं 39 कार्यालयों का ओ एण्ड एम निरीक्षण करने का है ।

ओ एंड एम बैठक

2.24 दिनांक 8.05.2006 को सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में मंत्रालय के लंबित मामलों की समीक्षा तथा उनके निपटान के उद्देश्य से ओ एण्ड एम बैठक आयोजित की गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई एस आई सी) के प्रतिनिधियों सहित सभी ब्यूरो प्रमुखों ने इस बैठक में भाग लिया ।

2.25 मंत्रालय के साथ-साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालयों में संबंधित कार्यकलाप के क्षेत्रों में अधिक कार्य निष्पादन दर्शाने हेतु पुरस्कार/पारितोषिक योजना बनाने/कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर बैठक में चर्चा की गई । चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा पुरस्कार योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था, अध्यक्ष महोदय ने योजना को 31 दिसम्बर, 2006 तक अंतिम रूप देने संबंधी निदेश दिए । पिछली ओ.एण्ड एम. बैठक में लिए गए निर्णयों, खासकर वी.आई.पी. संदर्भों, प्रधान मंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय के संदर्भों, न्यायालीय मामलों, लेखा-परीक्षा पैराओं का निराकरण किये जाने के बारे में भी उपर्युक्त ओ.एण्ड एम. बैठक में चर्चा हुई । अध्यक्ष महोदय ने प्रत्येक प्रभाग प्रमुख को अपने-अपने प्रभागों/संगठनों में पुराने मामलों के निपटान हेतु एक विशेष अभियान शुरू करने तथा जून, 2006 की समाप्ति तक इसे पूरा करने के निदेश दिये । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम में लंबित प्रधान मंत्री कार्यालय/कैबिनेट संदर्भों के मामले में अध्यक्ष महोदय ने संबंधित संगठनों के

प्रमुखों के ऊपर इस बात के लिए जोर दिया कि वे उन मामलों को अतिशीघ्र निपटाएं ।

2.26 पिछली ओ. एंड एम. बैठक में लिए गए निर्णयों, खासकर वी.आई.पी. संदर्भों, प्रधान मंत्री कार्यालय के संदर्भों, लेखा परीक्षा पैराओं का निराकरण किए जाने के बारे में भी उपर्युक्त ओ.एंड एम. बैठक में चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि प्रत्येक निर्णय की संबंधित प्रभाग प्रमुख द्वारा समीक्षा की जाये और अगली बैठक की प्रतीक्षा किये बिना उन्हें स्थिति से अवगत कराया जाये।

2.27 अध्यक्ष महोदय ने एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान संबधित प्राधिकारियों को उन मामलों, खासकर श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ के भवन के पट्टे को अंतिम रूप देना तथा मोहाली/पंचकुला में श्रम ब्यूरो के लिए अपने भवन हेतु भूमि खरीद के लिए यथासाध्य संभावनाओं का पता लगाने के अतिशीघ्र निपटान के निदेश दिए ।

<u>अभिलेख प्रबंधन</u>

2.28 अभिलेखों के समुचित रखरखाव को सुनिश्चित करने जैसे, अभिलेख प्रबंधन के इस महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालने हेतु नियमित अभियान भी चलाए जाते हैं । सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रवर्तन से संगठन एवं पद्धति (ओ एंड एम) के इस पहलू का महत्व पुनः और बढ़ गया है । वर्ष 2005-06 के दौरान, मंत्रालय में कुल 6478 फाइलें रिकार्ड की गइप, 7442 फाइलों की संवीक्षा हुई तथा 5016 फाइलें छंटनी की गई । यह वर्ष 2005-06 के दौरान क्षेत्रीय इकाइयों में शुरु किए गए विशेष अभियान के दौरान रिकार्ड संवीक्षा/छंटनी की गई फाइलों के अलावा है ।

2.29 श्रम और रोजगार मंत्रालय के मूल कार्य प्रचालन से संबंधित अभिलेखों के अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची की समीक्षा तथा अद्यतनीकरण भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार से विचार-विमर्श के पश्चात किया गया । इसे समस्त अनुभागों को संदर्भ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया । प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग से प्राप्त सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए कॉमन अद्यतनिकृत अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची को भी मंत्रालय में परिचालित किया गया ।

2.30 श्रम और रोजगार मंत्रालय की संगठनात्मक विवणिका के 12वें संस्करण की समीक्षा की गई तथा उसमें मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों के बीच कार्य वितरण एवं कार्यकलापों में हुए परिवर्तनों को शामिल करते हुए इसे वर्ष 2005-06 के दौरान अद्यतन किया गया।

कैरियर प्रबंधन और प्रशिक्षण (सी एम टी)

2.31 कैरियर प्रबंधन और प्रशिक्षण एकक का मुख्य कार्य अवर श्रेणी लिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों और आशुलिपिकों आदि के लिए विकेन्द्रीकृत आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा मंत्रालय और उसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा अन्य स्वायत्तशासी संगठनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में नामित करना है।

2.32 अप्रैल, 2006 से नवम्बर, 2006 की अवधि के दौरान 45 अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया गया है तथा सूचना प्रौद्योगिकी योजना के तहत श्रम और रोजगार मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए कॉरपोरेट क्षेत्रों द्वारा चलाए जाने वाले कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 40 अधिकारी/कर्मचारियों को नामित किया गया ।

2.33 मंत्रालय के समूह 'घ' के स्टाफ को उनके कामकाजी कौशल तथा कार्यनिष्पादन में सुधार लाने उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु पहले ही कदम उठाए गए हैं। यह कार्यक्रम इस दृष्टि से अद्वितीय है कि सामान्य तौर पर इन स्टाफ सदस्यों को इनके कैरियर के किसी चरण में प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण कार्यक्रम नहीं कराया जाता है ।

परामर्शदात्री समिति की बैठकें

2.34 परामर्शदात्री समिति की दो बैठकें क्रमशः 17.5.2006 तथा 8.11.2006 को माननीय केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री तथा श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में आयोजित की गइप । इन बैठकों में निम्नांकित मदों पर चर्चा की गई :

- असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा पर मसौदा विधेयक की स्थिति
- बाल श्रम उन्मूलन तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) के संबंध में ।
- देश के विभिन्न हिस्सों में श्रम कानूनों का उल्लंघन तथा श्रमिक संघ के कार्यकलापों को कम करने हेतु पुलिस बल का बढ़ता हुआ प्रयोग ।
- हरियाणा में श्रमिक संघ क्रियाकलापों पर आक्रमण ।

वित्त स्कंध

2.35 वित्त स्कंध मुख्यतः सभी प्लान स्कीमों की जांच करने व समस्त वित्तीय व सम्बद्ध प्रस्तावों पर सलाह प्रदान करने, श्रम और रोजगार मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) और उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सेवाओं के लिए बजट और संशोधित अनुमान तैयार करने, निष्पादन बजट, व्यय नियंत्रण और वित्तीय समीक्षा,

कार्य आकलन अध्ययन, आन्तरिक लेखा परीक्षा आदि के लिए जिम्मेदार है ।

2.36 लेखा नियंत्रण जो रोकड़ प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, लेखाकरण व्यवस्था का प्रमुख है। एकीकृत वित्त प्रभाग के महत्वपूर्ण कार्य तथा क्रियाकलाप निम्नवत् हैं-

- प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र में आने वाले समस्त विषयों के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय को सलाह प्रदान करना ;
- ऐसे समस्त व्यय प्रस्तावों की छानबीन करना जिन्हें सहमति या टिप्पणी के लिए वित्त मंत्रालय को संदर्भित किया जाना अपेक्षित है;
- यह सुनिश्चित करना कि मंत्रालय बजट की तैयारी समय से करे और यह कि वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार बजट तैयार किया जाए;
- बजट प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय भेजने से पहले उनकी पूरी तरह पड़ताल करना;
- यह देखना कि सम्पूर्ण विभागीय लेखा-जोखा को सामान्य वित्तीय नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार रखा जाता है ;
- स्कीमों और महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों के निर्माण के साथ शुरूआती अवस्था से घनिष्ठ सम्बद्धता बनाए रखना;
- परियोजनाओं और चल रही अन्य स्कीमों के मामले में प्रगति/मूल्यांकन के साथ स्वयं को संबद्ध रखना और यह देखना कि ऐसे मूल्यांकन अध्ययनों के परिणामों को बजट बनाते समय ध्यान में रखा जाए;
- लेखापरीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखा-परीक्षा पैरों आदि के निपटान की निगरानी करना ;
- लेखापरीक्षा रिपोर्टों और विनियोजन लेखों, रिपोर्टों, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति की रिपोर्टों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना ।

2.37 वर्ष 2006-2007 के दौरान, समस्त बजट और लेखा संबंधी विषयों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटाया गया । प्रस्तावों की सम्यक रूप से विविक्षा करके, यह सुनिश्चित किया गया कि व्यय, बजटीय विनियोजन, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाए और इसे मितव्ययिता, दक्षता और उन स्कीमों/कार्यक्रमों के उद्देश्यों के अनुरूप किया जाए जिनके संबंध में उसे उपगत किया गया था । वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा यथानिर्धारित व्यय प्रबंधन में राजकोषी बुद्धिमतापूर्ण दिशानिर्देशों और कारगर रोकड़ प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देशों को भी लागू करने की अपेक्षा की गयी ।

2.38 भविष्य के लिए एक प्रभावी लेखा प्रणाली और आन्तरिक नियंत्रण को ठीक ढंग से लागू किए जाने और यह कि सही राजकोषीय अनुशासन, दक्षता, मितव्ययिता और कारगरता के साथ किया जा रहा है, इस पर निरन्तर निगरानी रखे जाने का प्रस्ताव है।

हिन्दी का उत्तरोतर प्रयोग

2.39 श्रम मंत्रालय ने वर्ष 2006-2007 के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रुचि पैदा करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों/नियमों और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों/दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के हिन्दी प्रभाग को भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे संसद में रखे जाने वाले कागजात, श्रम कानूनों, माननीय श्रम मंत्री जी के भाषण, प्रेस विज्ञप्ति आदि के साथ-साथ मंत्रालय के नेमी कार्य के अनुवाद का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

2.40 इस वर्ष सितम्बर, 2006 को मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी माह के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर अधिकारियों/ कर्मचारियों के बीच हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी से जुड़ी नौ प्रतियोगिताएं आयोजित की गइप जिनमें मंत्रालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।

2.41 हिन्दी प्रभाग में हिन्दी कार्य कम्प्यूटर पर किया जा रहा है। हिन्दी अनुभाग का एक आशुलिपिक और तीन लिपिक कम्प्यूटर पर काम कर रहे हैं। मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन पर्चियाँ और भविष्य निधि विवरणियां हिन्दी में ही दी जा रही हैं।

2.42 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अधीन सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए । श्रम और रोजगार मंत्रालय, सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है और इस उद्देश्य की पूर्ति के प्रति समर्पित है ।

****